

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता
1.	1701 / 2023	निर्मला	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, चूरु जिला चूरु। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजगढ़, जिला चूरु। 5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, नौरंगपुरा ब्लॉक राजगढ़, जिला चूरु।	श्री हीरालाल गोठवाल
2.	1702 / 2023	सुमन	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4	
3.	1703 / 2023	कविता कुमारी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4	
4.	1704 / 2023	कविता देवी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, Sakhu, ब्लॉक राजगढ़, जिला चूरु।	
5.	1705 / 2023	संतोष कुमारी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चैनपुरा छोटा ब्लॉक राजगढ़, जिला चूरु।	
6.	1706 / 2023	पूनम रानी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4	
7.	1707 / 2023	सुमन ढाका	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तारानगर, जिला चूरु।	
8.	1708 / 2023	रेशमा बाई	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, Paharsar, ब्लॉक राजगढ़, जिला चूरु।	
9.	1709 / 2023	गुलाब देवी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (Admn.) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुंझुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नवलगढ़, जिला झुंझुनू।	श्री विजय पूनिया
10.	1710 / 2023	सुनीता कुमारी	उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडगांव, जिला झुंझुनू।	श्री रोहित सैनी
11.	1656 / 2023	कविता पूनिया	1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुंझुनू। 5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, जिला झुंझुनू।	श्री शैलेन्द्र बलवदा

12.	1662/2023	दिनेश कुमार	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।</li> <li>4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनू।</li> </ol>	श्री हनुमान चौधरी
13.	1632/2023	सुमित्रा कुमारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, चिकित्सा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू जिला झुंझुनू।</li> <li>4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ जिला झुंझुनू।</li> </ol>	हीरालाल गोठवाल
14.	1678/2023	अनिता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुंझुनू।</li> <li>4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ जिला झुंझुनू।</li> </ol>	शैलेन्द्र बलवदा
15.	1682/2023	श्याम कंवर	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. निदेशक, (अराजपत्रित) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. शासन सचिवालय, पंचायतीराज शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।</li> <li>5. सीएमएचओ, कार्यालय चूरु, रतनगढ जिला चूरु।</li> <li>6. बीसीएमएचओ, तारानगर, जिला चूरु।</li> <li>7. पीएचसी, ब्लॉक तारानगर जिला चूरु।</li> </ol>	संदीप शर्मा
16.	1683/2023	ममता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. निदेशक, (अराजपत्रित) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. शासन सचिवालय, पंचायतीराज शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।</li> <li>5. सीएमएचओ, कार्यालय चूरु, रतनगढ जिला चूरु।</li> <li>6. बीसीएमएचओ, सूरजगढ, जिला चूरु।</li> <li>7. पीएचसी, ब्लॉक सूरजगढ जिला चूरु।</li> </ol>	संदीप शर्मा
17.	1695/2023	सुमन सिंह	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ जिला झुंझुनू।</li> <li>5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।</li> </ol>	सलीम खान

18.	1696 / 2023	संतोष देवी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ जिला झुंझुनू।</li> <li>5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।</li> </ol>	सलीम खान
19.	1697 / 2023	सरीता कुमारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ जिला झुंझुनू।</li> <li>5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।</li> </ol>	
20.	1698 / 2023	पार्वती कुमारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ जिला झुंझुनू।</li> <li>5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।</li> </ol>	
21.	1699 / 2023	सुभिता कुमारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ जिला झुंझुनू।</li> <li>5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।</li> </ol>	
22.	1700 / 2023	किरण कुमारी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्थान राज्य जरिये, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।</li> <li>2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।</li> <li>4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ जिला झुंझुनू।</li> <li>5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।</li> </ol>	

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित :-

प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1701/2023 निर्मला बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी का कथन है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2023 (अनुलग्नक-1) जारी किया गया है, जिसमें सभी कार्मिक जिनका वेतन मूल पदस्थापन संस्थान से आहरित नहीं हो रहा है उन सभी कर्मचारियों को अधिशेष मानते हुए तत्काल आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त आदेश दिनांक 22.06.2023 की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 20.06.2023 व कार्यमुक्ति आदेश को चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अधिशेष मानते हुए कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गए हैं, जबकि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-1) विभाग ने आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अत्यावश्यक प्रकृति के स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के पश्चात ही की जा सकेंगे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को एपीओ किया जाना अपीलार्थी के स्थानान्तरण की श्रेणी में आता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एपीओ के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्रतिबंधित है। इस प्रकार अपीलार्थी को एपीओ किया जाना नियम विरुद्ध है।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उक्त अपील में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक था। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है न कि अधिशेष कार्मिक को अन्य रिक्त पदस्थापन स्थान देने पर रोक लगाई है। अति. मुख्य सचिव के आदेशों की पालना में चिकित्सा संस्थान में कोई अधिशेष कार्मिक नहीं रहे एवं आई.एफ.एम.एस. में पदों की मेपिंग हो सके इस हेतु अधिशेष कार्मिकों को अन्य

रिक्त पद पर लगाये जाने हेतु आदेशों कि प्रतीक्षा में निदेशालय हेतु लगाने के निर्देश दिये जिसकी पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया।

5. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया।
6. वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्य स्थान पर करने की दृष्टि से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जा रहा है, इसी दृष्टि से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-1) विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा स्थानांतरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध वर्तमान में लागू है। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध लागू होने के बाद भी किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति प्राप्त की गई हो। ऐसे में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरुद्ध है।
7. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए ऊपर वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण के संबंध में जारी कार्यमुक्ति आदेश अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार एवं राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश/परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से अपीलार्थीगण का स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
8. उपरोक्त आदेश के साथ समस्त अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
9. मूल आदेश अपील संख्या 1701/2023 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में सलंगन की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य